जिला–मधुबनी **दिनांक–20.05.2026**

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 366/2016
साधारण पंजी वाद संख्या–656/2011
फुलपरास थाना कांड संख्या–120/2011

राज्य द्वारा बबुआ दाई देवी पति पुलकित झा साकिन ग्राम–एकहारा, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी।

..... अभियोजन।

बनाम

01. प्रभाकर झा पिता–विनोद झा (उम्र लगभग–32 वर्ष),
02. विभाकर झा पिता–विनोद झा (उम्र लगभग–37 वर्ष) एवं
03. विनोद कुमार झा पिता–बालाकान्त झा (उम्र लगभग–60 वर्ष)

साकिन– एकहारा, थाना– फुलपरास, जिला–मधुबनी।

..... अभियुक्तगण।

अपराध की तिथि:– 23.06.2011

प्राथमिकी की तिथि:–23.06.2011

आरोप पत्र की तिथि:–30.09.2011

संज्ञान की तिथि:–20.05.2013

दौरा सुपुदर्गी की तिथि:–23.08.2016

आरोप गठन की तिथि:–06.03.2017

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–15.05.2017

अभियोजन साक्ष्य बन्द– 24.07.2025

बयान अंतर्गत धारा 313 दप्रस– 07.08.2025

सफाई साक्ष्य– इंकार ;क्मबसपदमकद्ध

बहस पूर्ण– 20.05.2026

निर्णय की तिथि:–20.05.2026

सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ईन्द्रकांत प्रसाद (सहायक लोक अभियोजक)

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री कैलाष चन्द्र यादव (अधिवक्ता)

निर्णय तिथि–20.05.2026

उपस्थित : सुषील कुमार दीक्षित,
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 324, 325, 307, 504/34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिसे अभियुक्तों को हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया है, जिससे इंकार करते हुए अभियुक्तों ने वाद विचारण की मॉग की है।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार यह है कि प्रस्तुत वाद की सूचिका बबुआ दाई देवी पति पुलकित झा के द्वारा अपना फर्दबयान थानाप्रभारी फुलपरास के समक्ष दिया गया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि दिनांक 23.06.2011

लगातार

को समय 4 बजे दिन में उसका जख्मी लड़का देवेन्द्र नाथ झा अपने बन रहे घर के लिंटर को मिस्त्री से ढलवा रहे थे कि इसी बीच उसके दियाद विनोद झा, विभाकर झा, प्रभाकर झा, करूणाकर झा सभी एक राय होकर गाली गलौज करते हुये लिंटर ढालने से मना किया। उसका लड़का देवेन्द्र झा बोला कि पहले पपीता के पेड़ को हटाइये, इसी बात पर विनोद झा अपने हाथ में लिये लोहे के रड से उसके माथा पर मारा, उसका लड़का बेहोष होकर गिर पड़ा। इसके बाद विभाकर झा, प्रभाकर झा एवं करूणाकर झा अपने हाथ में लिए लाठी डंडा से उसके लड़का का मारने लगे। वह बचाने गयी तो विभाकर झा अपने हाथ में लिए फरसा के लाठी से उसके बांये हाथ पर मारा, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया। इतने में बालाकान्त झा आये और उसे एवं उसके लड़का देवेन्द्र झा को गाली गलौज करते हुये अपने लड़का विनोद झा को बोला कि जान से मार दो। इस घटना को अगल–बगल के बहुत लोग देखे है जो पूछने पर बतायेंगे। विवाद का कारण घर के जमीन संबंधी विवाद को लेकर है।

03. सूचिका के उक्त फर्दबयान के आधार पर फुलपरास थाना कांड संख्या 120/2011 दिनांक 23.06.2011 अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 324, 307, 504/34 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घ ाटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पष्चात् आरोपगठन के पष्चात् विचारण की कार्रवाई प्रारम्भ हुयी।

04. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्तों का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0स0 अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तों ने स्वंय को निर्दोश बताया है तथा अभियोजन कथानक जैसी घटना में स्वंय के षामिल होने से इंकार किया है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में सफाई पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है। तत्पष्चात् उभय पक्षों द्वारा बहस पूर्ण किया गया।

05. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सत्य साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

06. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत वाद में मात्र 01 साक्षी का परीक्षण कराया गया है, जिन्हें मुख्य परीक्षण के उपरान्त प्रतिपरीक्षित कर साक्ष्य भार से मुक्त किया गया है। उक्त अभियोजन साक्षी निम्न प्रकार हैंः–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 :– देवेन्द्र नाथ झा

जहॉ तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रष्न है, अभियोजन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर किसी भी प्रकार का अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

07. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया है।

08. अब मै प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक मात्र साक्षी, साक्षी संख्या–1 के साक्ष्य का विवेचन करना चाहूँगा, उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में कथित घटना की तिथि, समय व स्थान का पूर्ण समर्थन किया है तथा बताया है कि अभियुक्त विभाकर झा द्वारा उसके सर पर खंतीनुमा रड से मारा गया जिससे वह गिर गया तथा अन्य अभियुक्तों ने लाठी, रड से मारा जिससे वह गिरकर बेहोष हो गया एवं उसकी मॉ सूचिका बचाने आयी तो उसका हाथ तोड़ दिया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में जमीन का विवरण बताया है तथा अभियुक्तों को स्वयं का चचेरा भाई बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–17 में कथन किया है कि पुलिस द्वारा उसके बयान को लेने की जानकारी उसे नही है, उसके अलावा अन्य लोगो का बयान हुआ था। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी बताया है कि बंटवारे का कोई भी कागज वह दाखिल नही कर सकते है तथा प्रस्तुत साक्षी का कथन प्रतिपरीक्षण की कंडिका–18 में विरोधाभाशी है जिसमें प्रस्तुत साक्षी जहॉ बेहतर ईलाज हेतु दरभंगा रेफर किये जाने की बात बताते है किन्तु रेफर किये

जाने संबंधी कोई कागज दाखिल नही कर सकने की बात कहते है तथा पुनः विरोधाभाशी कथन करते हुये कहते है कि उन्हें डी0एम0सी0एच0 के लिए दरभंगा रेफर नही किया गया था, सिर्फ दरभंगा रेफर किया गया था। इस संबंध में कागज दाखिल करने की बात कहते है किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई कागज उपलब्ध नही है। उक्त साक्षी के अलावा मामले के अन्य साक्षियों को अभियोजन प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में न तो सूचिका, न ही चिकित्सक और न ही मामले के अन्य साक्षियों को अभियोजन ने प्रस्तुत किया है। जबकि अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप का गठन दिनांक 06.03.2017 को हुआ है तथा लगभग आठ साल में अभियोजन सिर्फ एक उक्त साक्षी को ही प्रस्तुत किया है जबकि अभियोजन की प्रार्थना पर विद्वान सहायक लोक अभियोजक को दस्ती सम्मन भी दिनांक 17.02.2025 को व्यक्तिगत रूप से दिया जा चुका है किन्तु जब अभियोजन मामले के अन्य साक्षियों को प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभियोजन साक्ष्य दिनांक 24.07.2025 को बंद किया गया। जहॉ तक मामले में प्रस्तुत एक मात्र साक्षी के साक्ष्य का प्रष्न है उनका साक्ष्य दोशसिद्धि के लिए पर्याप्त नही है क्योंकि जहॉ फर्दबयान में सूचिका ने कहा है कि साक्षी संख्या–1 विनोद झा ने अपने हाथ में लिये लोहे के रड से माथा पर मारा, वहीं स्वयं साक्षी संख्या–1 का कहना है कि विभाकर झा ने उसे खंतीनुमा रड से सर पर मारा। जिससे फर्दबयान एवं मामले के एक मात्र साक्षी के साक्ष्य में परस्पर भिन्नता व तात्विक विसंगतियॉ है जिससे घटना की सत्यता व विष्वसनीयता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पश्ट है कि अभियोजन मामले को युक्ति–युक्त संदेह से परे सत्य साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। फलस्वरूप मै प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामित अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये दोशमुक्त करना उचित व न्यायसंगत समझता हूॅ।

<u>आ दे श</u>

अभियुक्तगण **01. प्रभाकर झा0, 2. विभाकर झा एवं 03. विनोद कुमार झा** को **भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 324, 325, 307, 504/34** के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है अभियुक्तगण जमानत पर है अतः उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उन्हें व उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(सुषील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
20.05.2026

(सुषील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
20.05.2026